

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन.सी.आर.), गुरुग्राम।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य।
11. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
12. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
13. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद व पानीपत।
14. सभी उप अधीक्षक, मुख्यालय।
15. लेखा अधिकारी, मुख्यालय।

क्रमांक स्था0/01/2024/ 655-760  
दिनांक: 8-01-2024

**विषय : अर्जित/आकस्मिक अवकाश स्वीकृत न करने बारे।**

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में सादर सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा दिये गये आदेशानुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अर्जित अवकाश माह जनवरी, 2024 एवं फरवरी, 2024 में स्वीकृत न किया जाये और न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजा जाये।

इसके अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश भी अधिकतम एक दिवस का ही स्वीकृत किया जाये, यदि उस दिन प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग या श्रम आयुक्त की कोई मीटिंग या VC ना हो। मीटिंग/VC वाले दिन किसी भी प्रकार का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।

  
सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।